

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL




Om Prakash Shrivastava

Advocate Notary Public

District-LALITPUR (U.P.)

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



227 मट्टोनी विहार समा निर्वाचन क्षेत्र से

२५०/१८

२/२/२०१२

मंत्री भवानी कोरी का दस्तावेज़

दस्तावेज़ का समय १०-१०
लाइन नं.-३७
पारिषद की बाबत
प्राप्ति का दस्तावेज़



गणेश कुमार

The affidavit has been sworn before me by Sri

मंत्री भवानी स/० दस्तावेज़

R/o. लिंगहर दा ग्रैंड मार्केट

Identified by Sri

स/० Sri.....

on ३/२/१२ between १०-१०

at

The contents of this affidavit have

been read over and explained to the

deponent who has admitted it to be

correct. Entered as No. १० in the

Notarial register No. १ पा १०/१२


Om Prakash Srivastava

Advocate Notary Public

District-LALITPUR (U.P.)

Om Prakash Srivastava
3/2/12





Part of the affidavit

B M H

W.M.H.



२२७, मठरोडी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी
द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं, मनोहर लाल पुत्र/पुत्री/पत्नी हस्ताक्षर
आयु ५७ वर्ष, जो मतानं०-१८८८ का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

१- मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं म०३० खं० - ७१/२००।

(ii) पुलिस थाना (थाने) अमरपुर जिला (ज़िले) उत्तरप्रदेश

राज्य ३० प्र०

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है धारा-१५७, १५८, १५९, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई उत्तरप्रदेश न्यायिक मंडिर

लालिलपुर

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे दिनांक १७-११-२००५ (मामला विचाराधीन है)

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा ८ की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं X (४१-४)

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है X

(iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले)

राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे.....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं.....

स्थान : लखनऊ

तारीख : 03-02-2012

गोदानी

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन


मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

लखनऊ स्थान पर आज तारीख 03-02-2012
को सत्यापित किया।

गोदानी

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिये जाएं।]



Part of the affidavit

B.M.